प्रषक,

कुल सचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ 226 007

दिनांक ....

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
फैकल्टी ऑफ आर्टस, साइंस, कॉमर्स, एजूकेशन,
विधि एवं ललित कला संकाय,
ल0 वि0 वि0।

विषय : पीएच0डी0 प्रोग्राम(सत्र 2009–10) में रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया पीएच0डी0 प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में कई आदेश एवं निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। पीएच0डी0 अर्हता टेस्ट सम्बन्धी आर्डीनेन्स(2009–10) एवं तत्पश्चात् पीएच0डी0 आर्डीनेन्स(2004–05) के अनुसार ही पीएच0डी0 में रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, लेकिन मा0 हाईकोर्ट में तीन रिट याचिकाएं दाखिल हो गयीं, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त दोनों आर्डीनेन्सों में दिये गये प्राविधानों को लेकर कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अथवा जो भी सूचियॉ जारी की गयी हैं, वह निर्धारित प्रपत्र के अनुसार न होने के कारण अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसलिए पुनः इस सम्बन्ध में उपरोक्त आर्डीनेन्स में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त सूचियों को पुनः जॉच कर तद्नुसार अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

01. पीएच0डी0 आर्डीनेन्स(2009–10) के अनुसार प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले(एस0सी0 / एस0टी0 / विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत) अभ्यर्थी इण्टरव्यू के लिए अर्ह मानें जायेंगें। उसके पश्चात् अर्ह अभ्यर्थियों को इण्टरव्यू एवं तत्पश्चात् एकेडमिक वेटेज को जोड़कर अन्तिम सूची बनायी जायेगी।

02. अन्तिम सूची तैयार होने के पश्चात् जिन–जिन शिक्षकों के पास पीएच0डी रजिस्ट्रेशन हेतु सीटें रिक्त हैं, उनके पास उपलब्ध सीटों के साथ, उनकी सूची विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी चाहिए।

03. विभागाध्यक्ष द्वारा नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की जानी चाहिए, कि रिक्त सीटों में रोस्टर के हिसाब से सामान्य / ओ0बी0सी0 / एस0सी0 / एस0टी0 आरक्षित सीटों की संख्या अलग–अलग कितनी है।

04. पीएच0डी0 आर्डीनेन्स(2004–05) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अन्तिम सूची में अर्ह अभ्यर्थी, पीएच0डी0 में रजिस्ट्रेशन हेतु उन शिक्षकों, जिनके पास सीटें उपलब्ध हैं, उनसे सम्पर्क कर सुपरवाइजर बनने हेतु अनुरोध के साथ अपनी सिनॉप्सिस एवं प्रवेश फार्म उक्त शिक्षक की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष के पास जमा करना है।

05. निर्धारित अवधि तक प्राप्त प्रवेश फार्म सिनॉप्सिस के साथ प्राप्त होने पर, विभागीय शोध समिति की बैठक बुलाई जानी है।

06. विभागीय शोध समिति की संस्तुति के साथ अभ्यर्थियों के फार्म एवं सिनॉप्सिस संकायाध्यक्ष को भेजा जाना अपेक्षित है।

भवदीय

(जी0 पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या :　　　　　　　　　　दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संकायाध्यक्ष, कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि एवं ललित कला संकाय, ल0 वि0 वि0।
2. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, ल0 वि0 वि0।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी को सूचनार्थ।
5. उप कुलसचिव(प्रवेश), ल0 वि0 वि0।

कुलसचिव